

मांग संख्या 12
मुख्य शीर्ष 2045

मद क्रमांक 1

मुख्य विद्युत निरीक्षक कार्यालय के अवकाश यात्रा भत्ता हेतु रूपये 0.10 लाख व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

मान. न्यायालय में दायर प्रकरण की पैरवी हेतु अधिवक्ताओं को शुल्क भुगतान के लिये रूपये 10.00 लाख व्यय संभावित है। इस हेतु रूपये 3.00 लाख आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

विभागीय न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण हेतु अधिवक्ताओं का शुल्क भुगतान विभागीय बचत से किया जावेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 4

राज्य शासन के निर्णयानुसार कृषि पंपों का उर्जाकरण की लक्ष्य पूर्ति हेतु रूपये 1000.00 लाख व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

मेसर्स कोल इंडिया की पूर्ववर्ती मप्र. विद्युत मण्डल पर बकाया राशि के भुगतान हेतु एकमुश्त समझौते के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु रूपये 2141.00 लाख व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 21,41,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।